कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

पत्रांक 3030 / 14–4–4 बाराबंकी, दिनांक 17/2/2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ0 प्र0, लखनऊ।

विषयः– भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 गोरखपुर द्वारा प्रस्तावित ग्राम– भीखरपुर, परगना– सूर्यपुर तहसील– रामसनेहीघाट, जनपद–बाराबंकी के गाटा संख्या– 179 में असन्द्रा– रामसनेहीघाट (हैदरगढ–भिटरिया) मार्ग पर किमी0 8.00–9.00 के मध्य बायी पटरी पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग कार्य हेतु 0.066388 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– **आपके कार्यालय का पत्रॉक– 2333 / 11–सी–एफ.पी. / यूपी. / आदर्स / 25323 / 2017 दिनांक 06–02–2018।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के ऑनलाइन एवं हार्ड कापी में आप द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:–

1– आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभावित संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष अवनत वन भूमि पर (ब्लाक वृक्षारोपण) में 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुए ऑनलाइन भाग– 2 में अपलोड कर दिया गया है। (100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है)

2– ऑनलाइन भाग– 2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की टोपोशीट एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड कर दिया गया है।

3– हार्ड कापी व ऑनलाइन भाग–2 में जिले का सही भौगोलिक विवरण अपलोड करते हुए संलग्न कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख की तीन प्रतियां संलग्न कर आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या / उक्तदिनांकित।

1– मुख्य वन संरक्षक / प्रभारी वन संरक्षक सरयू वृत्त उ0प्र0, फैजाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी रामसनेहीघाट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न हो जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हो।

3 प्रतिलिपि टेरीटरी प्रबन्धक, भारत पेट्रोलिय कारपोरेशन लि0 गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।